न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारीः—श्री राजेश सुवालका, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—80/2021 (2021/370) वादपत्र

अनवान

1. सीताराम पुत्र छोटुदास रंगास्वामी निवासी भगवानपुरा, तहसील आमेट हाल डगला का खेड़ा चितोड़गढ़ जिला चितोड़गढ़

वादी

बनाम

1. राधादेवी पत्नि गौतमदास रंगास्वामी निवासी तेज्याखेड़ी, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. श्रीदास पुत्र रामदास रंगास्वामी निवासी तेज्याखेड़ी, हाल लालजीकाखेड़ा तह.व जि.चितोड़गढ़
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

1. सुनिल बापना — **अधिवक्ता वादी**

निर्णय

दिनांकः—13.10.2022

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि इस न्यायालय के पुर्व आदेश दिनांक 07.04.2022 के द्वारा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम तेज्याखेड़ी पटवार हल्का नारायणखेड़ा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 के सयुंक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजियात संख्या 160 रकबा 1.10 है0, आराजी संख्या 161 रकबा 1.06 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 2.16 है0 भूमि में वादी का 1/2 हिस्से का मौके पर कब्जे एवं हिस्से को ध्यान में रखते हुए बाई मीट्स एण्ड बोण्ड्स के आधार पर विभाजन हेतु प्राथमिक डिक्री जारी की गई एवं तहसीलदार रायपुर से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने का आदेश दिया गया था।

तहसीलदार रायपुर द्वारा दिनांक 21.07.2022 को विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव का जारी डिक्री एवं रेकार्ड आफ राईट्स जमाबन्दी से मिलान किया गया और वादी अधिवक्ता को प्रस्ताव अवलोकन कराया जिस पर वादी अधिवक्ता विभाजन प्रस्ताव से सहमत है। उपरोक्त विवरण अनुसार प्राथमिक डिक्री की पालना में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री वादी के पक्ष मे विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम किशोरपुरा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे खााता संख्या 97 में प्रस्तावित आराजी संख्या 161 रकबा 1.0600 है0, आराजी संख्या 160/1 रकबा 0.0200 है0 कुल किता 2 कुल [illegible]8 है0 भूमि सीतारामदास पुत्र छोटुदास रंगास्वामी सा. भगवानपुरा तहसील आमेट जि. [illegible] खातेदार एवं प्रस्तावित आराजी संख्या 160/2 रकबा 1.08 है0 भूमि राधा[illegible]/4 रंगास्वामी, श्रीदास पुत्र रामदास रंगास्वामी 1/4 रंगास्वामी सा.देह [illegible] हुए राजस्व रेकार्ड [illegible] किया जावे। इसी अनुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अ[illegible] वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 13.10.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Suwalka
Date: 2022.12.19 15:59:38 IST
Reason: SelfAttested

(राजेश सुवालका)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर (भीलवाड़ा)

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः–श्री राजेश सुवालका, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–80/2021 (2021/370) वादपत्र

अनवान

1. सीताराम पुत्र छोटुदास रंगास्वामी निवासी भगवानपुरा, तहसील आमेट हाल डगला का खेड़ा चितोड़गढ़ जिला चितोड़गढ़

वादी

बनाम

1. राधादेवी पत्नि गौतमदास रंगास्वामी निवासी तेज्याखेड़ी, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. श्रीदास पुत्र रामदास रंगास्वामी निवासी तेज्याखेड़ी, हाल निवासी लालजीकाखेड़ा तहसील व जिला चितोड़गढ़
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री वादी के पक्ष मे विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम किशोरपुरा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे खााता संख्या 97 में प्रस्तावित आराजी संख्या 161 रकबा 1.0600 है0, आराजी संख्या 160/1 रकबा 0.0200 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.08 है0 भूमि सीतारामदास पुत्र छोटुदास रंगास्वामी सा. भगवानपुरा तहसील आमेट जि. राजसंमद खातेदार एवं प्रस्तावित आराजी संख्या 160/2 रकबा 1.08 है0 भूमि राधादेवी पत्नि गोतमदास हिस्सा 3/4 रंगास्वामी, श्रीदास पुत्र रामदास रंगास्वामी 1/4 रंगास्वामी सा.देह खातेदार के नाम रखते हुए राजस्व रेकार्ड कायम किया जावे।

वाद में डिक्री आज दिनांक 13.10.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Suwalka
Date: 2022.12.19 15:59:38 IST
Reason: SelfAttested

(राजेश सुवालका)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (भीलवाडा)